

[2023] 3 एस. सी. आर. 666

/

[2023] 3 एस सी आर।

/

अनिल कुमार

बनाम

हरियाणा राज्य और ओ. आर. एस.

(लेखन याचिका (सीआरएल) 2022 का सं. 46)

/

24 मार्च, 2023

[एम. आर. शाह और सी. टी. रविकुमार, न्यायाधीशगण]

हरियाणा अच्छा आचरण कैदी (अस्थायी रिहाई) अधिनियम, 1988 -धारा 3 (3)- याचिकाकर्ता को कोविड-19 महामारी के कारण उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति के निर्णय के अनुसार आपातकालीन पैरोल/अस्थायी पैरोल पर रिहा किया गया था-ऐसी पैरोल अवधि यदि याचिकाकर्ता की सजा की कुल अवधि के लिए गिनी जाएगी-आयोजित:नहीं-हरियाणा राज्य में, पैरोल पर अस्थायी रिहाई 1988 के अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होती है -1988 के अधिनियम की धारा 3 (3) में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि अस्थायी रिहाई की अवधि को एक कैदी की सजा की कुल अवधि के लिए नहीं गिना जाएगा-इस प्रकार, जब याचिकाकर्ता को अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है।302/34, भारतीय दंड संहिता सी. और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, उसे छूट के संबंध में किसी भी नियम/नीति के अधीन उक्त सजा से गुजरना पड़ता है और जिस अवधि के दौरान उसे आपातकालीन/अंतरिम पैरोल पर रिहा किया जाता है, उसे वास्तविक कारावास के उद्देश्य से बाहर रखा जाना चाहिए-याचिकाकर्ता रिट याचिका-दंड संहिता, 1860-एस. एस. में अनुरोध की गई किसी भी राहत का हकदार नहीं है।302/34 - भारत का संविधान-अनुच्छेद 32।

/

/

/

रोहन ढुंगट आदि। गोवा राज्य और अन्य। आदि।

/

विशेष अनुमति याचिका (सी. आर. एल.) संख्या **12574-77/2022:2023** एससीसी ऑनलाइन एससी **16**; हरियाणा राज्य और अन्य बनाम मोहिंदर सिंह **(2000) 3 एस. सी. सी. 394:[2000] 1 एस. सी. आर. 698**-पर निर्भर।

अवतार सिंह बनाम हरियाणा राज्य **(2002) 3 एससीसी 18**:

/

[2002] 1 एस. सी. आर. 1082-मामला विधि संदर्भ के लिए संदर्भित

[2002] 1 एससीआर 1082

संदर्भित

पैरा **3**

[2000] 1 एससीआर 698

पर विश्वास किया

पैरा **3**

/

666 ए.

667

अनिल कुमार बनाम हरियाणा राज्य और ओ. आर. एस.

आपराधिक मूल न्यायनिर्णय:2022 की रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 46।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत

तुषार मेहता, एस. जी., सुश्री ऐश्वर्या भाटी, बीर सिंह, सुश्री गरिमा प्रसाद, वरिष्ठ ए. ए. जी., सुश्री बांसुरी स्वराज, ए. ए. जी., श्रीमती अंकिता चौधरी, डी. ए. जी., एस. सी. वर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री रितु कुमार, सत्य मित्रा, श्रीकांत नीलप्पा तेरदल, डॉ. एन. विशाखमूर्ति, अंकुर तलवार, सुश्री स्वाति घिल्लियाल, रजत नायर, सुश्री एना उपाध्याय, सुश्री मान्या हसीजा, आकाश सिंह, निहार धर्माधिकारी, सुश्री सम्प्रीतिक्षी, डॉ. मोनिका गुसैन, फरहान खान, विनोद शर्मा, सुश्री आस्था शर्मा, श्रीसत्य मोहंती, संजीव कौशिक, सुश्री मंटिका हरियानी, श्रेयस अवस्थी, हिमांशु चक्रवर्ती, सुश्री रिपुल स्वाति कुमारी, भानु मिश्रा, सुश्री मुस्कान सुराना, सुश्री

सुप्रिया जुनेजा, शिबाशीष मिश्रा, के. राजीव, मैबम नबघानाश्याम सिंह, श्रीधर वाई चितले, विधि चितले, सुश्री मुक्ति चौधरी, कन्हैया सिंघल, जसमीत एस. चड्ढा, प्रसन्ना, पी. एस. सुधीर, ऋषि माहेश्वरी, ऐनी मैथ्यू, भारत सूद, सुश्री श्रुति जोस, संदीप सिंह, सुभाष चंद्रन, सयोज मोहम्मद।

/

/

/

/

/

/

/

668

/

[2023] 3 एस सी आर।

/

सेमा, सुश्री लिमायिनला जमीर, अमित कुमार सिंह, सुश्री चुबालेमला चांग, प्रांग न्यूमाई, सुश्री राधिका गौतम, श्रीमती तरुणा सिंह गोहिल, महफूज अहसान नाज़की, पोलंकी गौतम, शेख मोहम्मद हनीफ, टी. विजया भास्कर रेड्डी, सुश्री राजेश्वरी मुखर्जी, सुश्री नीति रिचरिया, केवी गिरीश चौधरी, मिलिंद कुमार, तपेश कुमार सिंह, महेश ठाकुर, मैबम नबघनश्याम सिंह, ऋषि मल्होत्रा, मेसर्स लम्बट एंड लेजिटेम, किशोर लंबट, सुश्री कश्मीरा लम्बट, सचिन पाहवा, सुश्री सुजा जोशी, सुमीरासी, अब्बासाबी, समीर अभ्यंकर, सुश्री निशी संगतानी, सुश्री वाणी वंदना छेत्री, सचिन पाटिल, नरेंद्र कुमार, राघवेंद्र कुमार, आनंद कुमार दुबे, सुश्री राजलक्ष्मी सिंह, सुनील सरावगी, अपूर्व कुरूप, सुश्री निधि मित्तल, विष्णु शंकर जैन, सुश्री रंजीता रोहतगी, शुवोदीप रॉय, साई शशांक, दीपायन दत्ता, एस. थानंजयन, सुश्री मृणाल गोपाल एल्कर, सुशील तोमर, श्रीहर्ष पीचारा, ध्रुवरी सुब्रमण्य भानू, राजीव कुमार चौधरी, अनूप प्रकाश अवस्थी, विवेक कुमार तिवारी, सुश्री दिव्या द्विवेदी, अभिमन्यु तिवारी, सुश्रीउपस्थित पक्षकारों के लिए।

/

/

/

/

अदालत के प्रस्ताव द्वारा
व्यक्तिगत रूप से आवेदक

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दायर इस रिट याचिका के माध्यम से, हरियाणा राज्य में याचिकाकर्ता-दोषी ने सुओ-मोटो डब्ल्यू. पी. में पारित इस न्यायालय के आदेश दिनांक 23.03.2020 के अनुसार गठित उच्च शक्ति प्राप्त समिति दिनांक 09.05.2021 के निर्णय अपास्त करते हुए करने और रद्द करने के आदेश या निर्देश के लिए अनुरोध किया है। (ग) नं. 1/2020, जहाँ तक यह कहा गया है कि अंतरिम पैरोल पर रिहाई की अवधि को दोषी कैदी की सजा की कुल अवधि में नहीं गिना जाएगा।

/

/

669

अनिल कुमार बनाम हरियाणा राज्य और ओ. आर. एस. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

/

2. याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील सुश्री रितु कुमार ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता को एस. डब्ल्यू. एम. (सी) सं. 1/2020 में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार आपातकालीन पैरोल पर रिहा किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय ने बाद के आदेशों में निर्देश दिया कि जिन दोषियों को उच्चाधिकार प्राप्त समिति के निर्णय के अनुसार पहले आपातकालीन पैरोल पर रिहा किया गया था, उन्हें अगले आदेश तक आत्मसमर्पण करने के लिए नहीं कहा जाएगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, याचिकाकर्ता को उच्चाधिकार प्राप्त समिति के निर्णय के अनुसार रिहा किया गया था, न कि याचिकाकर्ता द्वारा किए गए किसी भी आवेदन पर और/या हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स (अस्थायी रिहाई) अधिनियम, 1988 (इसके बाद अधिनियम, 1988 के रूप में संदर्भित) की धारा 3 (3) के अंतर्गत। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, बाद में 09.05.2021 पर आयोजित अपनी बैठक में, उच्चाधिकार प्राप्त समिति यह निर्णय नहीं ले सकती थी कि अंतरिम/विशेष पैरोल पर रिहाई की अवधि को कैदी/दोषी की सजा की कुल अवधि में नहीं गिना जाएगा।

/

/

/

2.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जहां तक कुछ अन्य राज्यों का संबंध है, अंतरिम पैरोल पर रिहाई की अवधि को दोषी/कैदी की सजा की कुल अवधि में गिने जाने का निर्देश दिया गया है।

2.2 याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता को अंतरिम पैरोल पर रिहा नहीं किया जाता और वह सजा की निश्चित अवधि के बाद उस मामले में सजा काटता तो वह माफी का हकदार होता। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि याचिकाकर्ता को अंतरिम पैरोल पर रिहा किया गया था और यदि उक्त अवधि को उस मामले में सजा की कुल अवधि के लिए नहीं गिना जाता है, तो माफी का दावा करने का उसका अधिकार आगे बढ़ाया जाएगा जो याचिकाकर्ता के हित के लिए हानिकारक हो सकता है। 2.3 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि वह रिट जारी करें जिसके लिए यह प्रार्थना की जाती है।

/

/

3. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए. ए. जी. सुश्री बांसुरी स्वराज ने वर्तमान रिट याचिका का जोरदार विरोध किया है।

/

3.1 राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता-दोषी को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 302/34 के अंतर्गत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वत विचारण विचारण न्यायालय द्वारा दी गई दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा गया है

/

670

/

[2023] 3 एस सी आर।

इस न्यायालय और एसएलपी को खारिज कर दिया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, याचिकाकर्ता को विधि और विद्वत विचारण विचारण न्यायालय द्वारा दी गई सजा के अनुसार आजीवन कारावास से गुजरना पड़ता है।

3.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बाद, याचिकाकर्ता को कोविड-19 महामारी के कारण एस. डब्ल्यू. एम. (सी) संख्या 1/2020 में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति के निर्णय के अनुसार आपातकालीन पैरोल/अस्थायी पैरोल पर रिहा कर दिया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अस्थायी पैरोल/आपातकालीन पैरोल देते समय शुरू में उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने 12.11.2020 पर आयोजित बैठक के कार्यवृत्त में विशेष रूप से पैराग्राफ 4 में कहा कि सजा के लिए विशेष पैरोल की अवधि की गणना नहीं करने के लिए कोई विशिष्ट निर्देश वैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए दिए जाने की आवश्यकता नहीं है और अधिकारियों को वैधानिक प्रावधानों के अनुसार उक्त मुद्दे पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम, 1988 की धारा 3 (3) के अनुसार, अस्थायी रिहाई/पैरोल की अवधि को कैदी की सजा की कुल अवधि में नहीं गिना जाएगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बाद जब इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए बाद के निर्देशों के अनुसार आपातकालीन पैरोल/अस्थायी पैरोल को और बढ़ाया गया है, तो उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने बैठक के कार्यवृत्त में नोट के अनुसार विशेष रूप से प्रावधान किया है कि अंतरिम पैरोल पर रिहाई की अवधि को दोषी-कैदी की सजा की कुल अवधि में नहीं गिना जाएगा, जो कि वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, अंतरिम पैरोल पर रिहाई की अवधि पर आई. डी. 1 पर आयोजित अपनी बैठक में उच्चाधिकार प्राप्त समिति का निर्णय कैदी/दोषी की सजा की कुल अवधि के लिए नहीं गिना जाएगा, न तो अवैध है और न ही वैधानिक प्रावधानों के विपरीत है।

/

/

/

/

3.3 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि हाल के निर्णय को देखते हुए यह मुद्दा कि क्या पैरोल की अवधि को दोषी-कैदी की सजा की कुल अवधि के लिए गिना जाना है, अब फिर से एकीकृत नहीं है

/

रोहन धुंगट आदि के मामले में इस न्यायालय का। बनाम। गोवा राज्य और अन्य। आदि। (विशेष अनुमति याचिका (सी. आर. एल.) संख्या 12574-77 2022):(2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 16)। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बाद

इस मुद्दे पर विधि पर विचार करते हुए और पहले के फैसलों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने विशेष रूप से अवलोकन किया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि जिस अवधि के दौरान एक दोषी को पैरोल पर रिहा किया जाता है, उसे वास्तविक कारावास पर विचार करते समय नहीं गिना जाएगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मामले में

/

अवतार सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2002) 3 एस. सी. सी. 18, यह न्यायालय

अधिनियम, 1988 की धारा 3 (3) की संवैधानिक वैधता पर विचार करते हुए और संवैधानिक वैधता को धारण करते हुए, इस न्यायालय ए द्वारा यह अवलोकन किया जाता है।

/

671

अनिल कुमार बनाम हरियाणा राज्य और ओ. आर. एस. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

कि एक वैध विधायी अधिनियम द्वारा पैरोल पर अस्थायी रिहाई की अवधि को दोषी-कैदी द्वारा दी गई वास्तविक सजा की गिनती करते समय अस्वीकार किया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि बाद में राज्य के मामले में

हरियाणा और ओआरएस। बनाम मोहिंदर सिंह (2000) 3 एस. सी. सी. 394, यह न्यायालय विशेष रूप से कहा और अभिनिर्धारित किया है कि पैरोल की अवधि को सजा की कुल अवधि के लिए नहीं गिना जाना चाहिए क्योंकि जब कोई कैदी पैरोल पर होता है तो उसकी रिहाई की अवधि सजा की कुल अवधि के लिए नहीं गिना जाता है।

/

3.4 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, वर्तमान रिट याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है।

4. इस न्यायालय के विचार के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न पूछा जाता है, वह यह है कि क्या कोई दोषी/कैदी जिसे एस. डब्ल्यू. एम. (सी) संख्या में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति के निर्णय के अनुसार अस्थायी पैरोल/आपातकालीन पैरोल पर रिहा किया गया है।

/

/

4.1 शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि जहां तक हरियाणा राज्य का संबंध है, पैरोल पर अस्थायी रिहाई हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स (अस्थायी रिहाई) अधिनियम, 1988 के वैधानिक प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होती है। अधिनियम, 1988 की धारा 3 (3), जो विशेष रूप से प्रदान करती है कि अस्थायी रिहाई की अवधि को कैदी की सजा की कुल अवधि में नहीं गिना जाएगा। इसके बाद, इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने दोषियों/कैदियों को अस्थायी पैरोल/आपातकालीन पैरोल पर रिहा करने का निर्देश

दिया, विशेष रूप से कहा कि वैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सजा के लिए विशेष पैरोल की अवधि की गणना नहीं करने के लिए कोई विशिष्ट निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है और अधिकारियों को वैधानिक प्रावधानों के अनुसार इस मुद्दे पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है। इसके बाद, जब इस न्यायालय द्वारा पारित बाद के आदेशों के अनुसार आपातकालीन पैरोल को और बढ़ाया गया है, तो बैठक के कार्यवृत्त/नोट में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि उच्चाधिकार प्राप्त समिति के निर्णय के अनुसार रिहाई की अवधि को कैदी/दोषी की सजा की कुल अवधि में नहीं गिना जाएगा। इस प्रकार उक्त टिप्पणी पूरी तरह से वैधानिक प्रावधान, अर्थात् अधिनियम, 1988 की धारा 3 (3) के अनुरूप है।

/

/

/

5. इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि अधिनियम, 1988 की धारा 3 (3) के अधिकारों को इस न्यायालय के समक्ष और निर्णय द्वारा चुनौती दी गई थी और

/

672

/

[2023] 3 एस सी आर।

अवतार सिंह (ऊपर) में पारित आदेश, इस न्यायालय ने अधिनियम, 1988 की धारा 3 (3) के अधिकारों को बरकरार रखा है।

5.1 तत्पश्चात, मोहिंदर सिंह (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने विशेष रूप से टिप्पणी की है और कहा है कि पैरोल की अवधि को सजा की कुल अवधि में नहीं गिना जाएगा। यह देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि जब कोई कैदी पैरोल पर होता है तो उसकी रिहाई की अवधि सजा की कुल अवधि के बराबर नहीं होती है।

/

5.2 रोहन ढुंगट (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के हाल के निर्णय में, इस न्यायालय को इसी तरह के मुद्दे/प्रश्न पर विचार करने का अवसर मिला था और पैरोल के उद्देश्य और उद्देश्य पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय द्वारा यह देखा और अभिनिर्धारित किया गया है कि पैरोल पर रिहाई की अवधि को वास्तविक कारावास पर विचार करने के उद्देश्य से नहीं गिना जाएगा और पैरोल की उक्त अवधि को बाहर रखा जाना चाहिए। रोहन ढुंगट (ऊपर) के मामले में, इस न्यायालय ने पैराग्राफ 10 में निम्नलिखित टिप्पणी की है:-

/

“10. यदि कैदियों की ओर से यह निवेदन कि 14 साल के वास्तविक कारावास पर विचार करते समय पैरोल की अवधि को शामिल किया जाना है, स्वीकार किया जाता है, तो उस मामले में, कोई भी कैदी जो प्रभावशाली हो सकता है, उसे कई बार पैरोल मिल सकती है क्योंकि कोई प्रतिबंध नहीं है और इसे कई बार दिया जा सकता है और यदि कैदियों की ओर से निवेदन स्वीकार किया जाता है, तो यह वास्तविक कारावास के उद्देश्य और उद्देश्य को विफल कर सकता है। हमारा दृढ़ विचार है कि वास्तविक कारावास पर विचार करने के उद्देश्य से, पैरोल की अवधि को बाहर रखा जाना चाहिए। हम उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं। ”

/

/

6. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और जब याचिकाकर्ता को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 1 के अंतर्गत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, तो उसे वास्तव में माफी के संबंध में किसी भी नियम/नीति के अधीन उक्त सजा भुगतनी होगी और जिस अवधि के दौरान उसे आपातकालीन/अंतरिम पैरोल पर रिहा किया जाता है, उसे वास्तविक कारावास के उद्देश्य से बाहर रखा जाना चाहिए। इन परिस्थितियों अंतर्गत , याचिकाकर्ता तत्काल रिट याचिका अंतर्गत मांगी गई किसी भी राहत का दावा करने का हकदार नहीं है। इन परिस्थितियों अंतर्गत , वर्तमान याचिका अंतर्गत गुण-दोष की कमी है और इसे खारिज किया जाना चाहिए और तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

/

/

दिव्या पांडे

लिखित याचिका खारिज की गई। (सहायक: अभिषेक अग्निहोत्री और रुपांशी विरंग, एलसीआरए)

/